


कम





हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारिख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामिल में
जारी हुए

12/9/23

पत्रावली चेरा हुई । उग्रय पस अभिमाधन गण
इप०। वादी अभिमाधन ने वाद की डिडी भिजे
जाने का निवेदन किया कि पक्षदारी लागू किया
28/10/2021 ने रात्री नामे अनुषार डिडी भिजा
जावे । रैस्पोंडेंट अभिमाधन ने भी वाद की राजीनामे
की डिडी भिजे जाने पर बीर सापाने दर्ज नहीं की ।
जिससे वादीपक्ष का वाद डिडी भिजे जाने योग्य
होने से स्वीकार किया जाता है भिजे पक्ष के
लिख नाम) जकर शामिल प्रिचल किया गया ।
पत्रावली के लक्ष अनुसार होकर नंबर ले कर ले


सहायक कलेक्टर (मु०), अजमेर

ज (12) ज


कम ले ली गति
12/9/23

मनोहरदास
प्रतिपदी

शवरलाल

न्यायालय श्रीमान् सहायक कलेक्टर (मु0) महोदय, अजमेर

राजस्व वाद संख्या 16/2021 (2021/27) जिला अजमेर

01. जसराज पुत्र स्व. सूजा पौत्र हरजी, जाति गुर्जर निवासी ग्राम चाचियावास तहसील व जिला अजमेर।
 02. बीरम पुत्र स्व. सूजा पौत्र हरजी, जाति गुर्जर निवासी ग्राम चाचियावास तहसील व जिला अजमेर।
 03. सुवा पुत्री स्व. सूजा पौत्री हरजी, जाति गुर्जर निवासी ग्राम चाचियावास तहसील व जिला अजमेर।
 04. श्रीमती अलोल पुत्री स्व. सूजा पौत्री हरजी, पत्नी श्री रामलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम छातडी तहसील व जिला अजमेर।
 05. श्रीमती पानी पुत्री स्व. श्री सूजा पौत्री हरजी, पत्नी श्री श्रवण जाति गुर्जर निवासी ग्राम भूडोल तहसील व जिला अजमेर।
 06. श्रीमती चौथी पुत्री स्व. श्री सूजा पौत्री हरजी, जाति गुर्जर निवासी ग्राम चाचियावास तहसील व जिला अजमेर।
 07. श्रीमती शांति पुत्री स्व. सूजा पौत्री हरजी, पत्नी श्री किशना जाति गुर्जर निवासी पहाडगंज तहसील व जिला अजमेर।
 08. श्रीमती भंवरी पत्नी रघुनाथ पुत्रवधू श्री सूजा जाति गुर्जर निवासी ग्राम चाचियावास तहसील व जिला अजमेर।
 09. श्री अर्जुन पुत्र रघुनाथ पौत्र श्री सूजा जाति गुर्जर निवासी ग्राम चाचियावास तहसील व जिला अजमेर।
 10. चतर उर्फ चतुर्भुज पुत्र श्री रघुनाथ पौत्र श्री सूजा जाति गुर्जर निवासी ग्राम चाचियावास तहसील व जिला अजमेर।
 11. श्रीमती संजू पुत्री रघुनाथ पत्नी श्री मांगू जाति गुर्जर निवासी ग्राम आखरी तहसील व जिला अजमेर।
 12. श्रीमती मंजू पुत्री रघुनाथ पत्नी श्री हरि जाति गुर्जर निवासी ग्राम देवनगर तहसील पुष्कर व जिला अजमेर।
- वादी संख्या 01 स्वयं एवं वादीगण संख्या 02 से 12 जरिये मुख्तारआम श्री जसराज पुत्र स्व. श्री सूजा पौत्र हरजी जाति गुर्जर निवासी ग्राम चाचियावास तहसील व जिला अजमेर।

— वादीगण

बनाम्

01. श्री भंवरलाल पुत्र स्व. सूजा पौत्र हरजी, जाति गुर्जर निवासी ग्राम चाचियावास तहसील व जिला अजमेर।
02. राजस्थान सरकार जरिये विद्वान तहसीलदार महोदय, अजमेर।

— प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषक :-

वादीगण की ओर से अभिभाषक :- नौरतमल जैन उपस्थित।


प्रतिवादीगण की ओर से अभिभाषक :- मनोहरलाल प्रजापत।

निर्णय

दिनांक 12.09.2023

पत्रावली आज दिनांक को पेश हुई। उभय पक्षकारान उपस्थित। वादीगण के द्वारा जरिये अधिवक्ता के वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चौसाला खाता संख्या 287 के खसरा नं0 164 रकबा 01-02-10 एवं खसरा नं0 165 रकबा 04-06-00 की भूमि ग्राम चाचियावास तहसील अजमेर मे स्थित है कि जिसके चौसाला जमाबंदी संख्या 2024 से 2027 के अनुसार खातेदार श्री हरजी पुत्र जयराम जाति गुर्जर दर्ज है, कि जिनका स्वर्गवास हो चुका है, कि जिसका विरासत नामान्तरण संख्या 126 दिनांक 22.12.1978 के हरजी के बजाय सूजा पुत्र हरजी वर्किंग जमाबंदी मे विरासत दर्ज है, तथा सूजा पुत्र हरजी का भी स्वर्गवास हो जाने पर विरासत नामान्तरण संख्या 496 दिनांक 05.11.2007 के अनुसार श्रीमति फूली पत्नी स्व. सूजा, अलोल पानी

भंवरलाल, जसराज की पुत्रगण सूजा, सुवा, अलोल, पानी, चौथी, शांति पुत्रिया सूजा, भंवरी पत्नी स्व. रघुनाथ, अर्जुन, चतर पुत्रगण रघुनाथ, संजू, मंजू पुत्रीया रघुनाथ गुर्जर इस प्रकार हरजी पुत्र जयराम जो कि वादीगण एवं प्रतिवादी भंवरलाल के पूर्वज थे तथा सूजा का भी स्वर्गवास हो चुका है, वाद पत्र के वर्णित भूमि जो कि वादीगण एवं प्रतिवादी भंवरलाल की पुश्तैनी संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि है परन्तु वर्तमान जमाबंदी में भंवरलाल दत्तक पुत्र हरजी गुर्जर गलत दर्ज कर दी गई जब कि श्री हरजी जो कि



प्रतिवादी भंवरलाल के दादा थे तथा प्रतिवादी भंवरलाल पुत्र सूजा है, वादपत्र में वर्णित भूमि के वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे तथा वर्तमान जमाबंदी में भंवरलाल दत्तक पुत्र हरजी के स्थान पर भंवरलाल पुत्र सूजा की भी दुरुस्ती की जावे वाद प्रस्तुत दर्ज किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया।

प्रतिवादी भंवरलाल की ओर से वाद पत्र में वकालतनामा प्रस्तुत किया जो वाद पत्र में वकालतनामा प्रस्तुत किया जो वाद पत्रावली पर शामिल किया गया।

वादीगण एवं प्रतिवादी भंवरलाल के द्वारा राजीनामा दिनांक 28.10.2021 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र के पैरा संख्या एक में वर्णित भूमि के वादीगण एवं भंवरलाल के खातेदार घोषित किये जाने में तथा भंवरलाल दत्तक पुत्र हरजी के स्थान पर भंवरलाल पुत्र सूजा की दुरुस्ती किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है, राजीनामा प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली है, वादीगण व प्रतिवादी भंवरलाल की पहचान अधिवक्ता द्वारा की गई।


पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज चौसाला जमाबंदी संख्या 2024 से 2027 से यह प्रमाणित है कि खातेदार हरजी पुत्र जयराम गुर्जर दर्ज है जो कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण भंवरलाल के पूर्वज थे तथा पत्रावली पर प्रस्तुत वर्किंग जमाबंदी से यह भी प्रमाणित है कि खातेदार हरजी पुत्र जयराम का वारीस सूजा पुत्र हरजी तथा इनका भी स्वर्गवास हो चुका के वारीस वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या एक भंवरलाल है जो कि वादी पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज व राजीनामा से प्रमाणित है।

अतः मुताबिक राजीनामा एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार चौसाला खाता नं० 287 के ख.न. 164 रकबा 01-02-10 के वर्किंग खं० नं० 190 रकबा 01-02-10 के वर्तमान खं० नं० 279 रकबा 0.18 है, चाही-3, एवं चौसाला ख० नं० 165 रकबा 04-06-00 के वर्किंग खं० नं० 191 रकबा 01-10-00 के वर्तमान खं० नं० 279 रकबा 0.23 है। चाही-3, एवं खं० नं० 279/2808 रकबा 0.01 चाही तथा वर्किंग खं.न. 192 के वर्तमान खं.न. 282 रकबा 0.46 है। चाही-3 ग्राम चाचियावास तहसील अजमेर के वादीगण एवं प्रतिवादी भंवरलाल पुत्र सूजा के खातेदार घोषित किया जाता है तथा वर्तमान जमाबंदी में भंवरलाल दत्तक पुत्र हरजी के स्थान पर भंवरलाल पुत्र सूजा की दुरुस्ती भी की जाती है। वर्तमान जमाबंदी में वादीगण व प्रतिवादी भंवरलाल के नाम दर्ज की जावे।

निर्णय व डिक्री के अनुसार तहसीलदार अजमेर के द्वारा वर्तमान जमाबंदी में वादीगण व प्रतिवादी भंवरलाल पुत्र सूजा गुर्जर के नाम दर्ज करे। इस आशय की डिक्री भी बनायी जाती है तथा तहसीलदार अजमेर को उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज किये जाने हेतु निर्देश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 12.09.2023 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।




श्री गौमे
आई.ए.एस. (प्रशिक्षु),
सहायक कलेक्टर (मु०)
अजमेर